"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 338] रायपुर, बुधवार, दिनांक 2 अगस्त 2017 —— श्रावण 11, शक 1939

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 2 अगस्त 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ–4–87 / 2011 / 18. —— छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवा, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय–सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित करता है अर्थात् :–

अनुसूची

सरल क्रमांक	कार्यालय / निकाय / अभिकरण का नाम	छ.ग.लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा	सेवा प्रदाय करने वाले लोक प्राधिकारी (पद)	सक्षम प्राधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1.1	नगर पालिक निगम	मृत पशु का निपटान	48 घंटे	(1) आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (यदि प्राधिकृत किया गया हो) अन्यथा (2) आयुक्त नगर पालिक निगम	आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	1. कॉलम 5 में (1) की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम 2. कॉलम 5 में (2) की स्थिति में कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा नामांकित अधिकारी
1.2	नगर पालिका / नगर पंचायत	मृत पशु का निपटान	48 घंटे	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व

1	2	3	4	5	6	7
2.1	नगर पालिक निगम	पालिक कूडादान में क्षमता से अधिक भरे कूडे की सफाई।	12 घंटे	1. आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (यदि प्राधिकृत किया गया हो) या 2. आयुक्त नगर पालिक निगम	आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	1. कॉलम 5 में (1) की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम 2. कॉलम 5 में (2) की स्थिति में कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा नामांकित अधिकारी
2.2	नगर पालिका/ नगर पंचायत	पालिक कूडादान में क्षमता से अधिक भरे कूडे की सफाई।	12 घंटे	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व
3.1	नगर पालिक निगम	कचरे का निपटान	12 घंटे	1. आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (यदि प्राधिकृत किया गया हो) या 2. आयुक्त नगर पालिक निगम	आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	1. कॉलम 5 में (1) की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम 2. कॉलम 5 में (2) की स्थिति में कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा नामांकित अधिकारी
3.2	नगर पालिका/ नगर पंचायत	कचरे का कानिपटान	12 घंटे	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व
4.1	नगर पालिक निगम	सार्वजनिक शौचालय अवरोध मुक्त करना	12 घंटे	1. आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (यदि प्राधिकृत किया गया हो) या 2. आयुक्त नगर पालिक निगम	आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	1. कॉलम 5 में (1) की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम 2. कॉलम 5 में (2) की स्थिति में कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा नामांकित अधिकारी
4.2	नगर पालिका/ नगर पंचायत	सार्वजनिक शौचालय अवरोध मुक्त करना	12 घंटे	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व
5.1	नगर पालिक निगम	नियमित कूड़ा वाहन सेवा (यदि शिकायत हो तो)	12 घंटे	1. आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (यदि प्राधिकृत किया गया हो) या 2. आयुक्त नगर पालिक निगम	आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	1. कॉलम 5 में (1) की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम 2. कॉलम 5 में (2) की स्थिति में कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा नामांकित अधिकारी

1	2	3	4	5	6	7
5.2	नगर पालिका / नगर पंचायत	नियमित कूड़ा वाहन सेवा (यदि शिकायत हो तो)	12 घंटे	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व
6.1	नगर पालिक निगम	सार्वजनिक स्थलों पर झाडू लगना	12 घंटे	1. आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (यदि प्राधिकृत किया गया हो) या 2. आयुक्त नगर पालिक निगम	आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	1. कॉलम 5 में (1) की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम 2. कॉलम 5 में (2) की स्थिति में कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा नामांकित अधिकारी
6.2	नगर पालिका / नगर पंचायत	सार्वजनिक स्थलों पर झाडू लगना	12 घंटे	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व
7.1	नगर पालिक निगम	सार्वजनिक शौचालय में प्रकाश की व्यवस्था	12 घंटे	1. आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (यदि प्राधिकृत किया गया हो) या 2. आयुक्त नगर पालिक निगम	आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	1. कॉलम 5 में (1) की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम 2. कॉलम 5 में (2) की स्थिति में कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा नामांकित अधिकारी
7.2	नगर पालिका / नगर पंचायत	सार्वजनिक शौचालय में प्रकाश की व्यवस्था	12 घंटे	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व
8.1	नगर पालिक निगम	सार्वजनिक शौचालय में पानी की आपूर्ति	12 घंटे	1. आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (यदि प्राधिकृत किया गया हो) या 2. आयुक्त नगर पालिक निगम	आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	1. कॉलम 5 में (1) की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम 2. कॉलम 5 में (2) की स्थिति में कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा नामांकित अधिकारी
8.2	नगर पालिका / नगर पंचायत	सार्वजनिक शौचालय में पानी की आपूर्ति	12 घंटे	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व
9.1	नगर पालिक निगम	सामुदायिक / सार्वजनिक शौचालय की नियमित सफाई (यदि शिकायत हो तो)	12 घंटे	1. आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (यदि प्राधिकृत किया गया हो) या 2. आयुक्त नगर पालिक निगम	आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	1. कॉलम 5 में (1) की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम 2. कॉलम 5 में (2) की स्थिति में कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा नामांकित अधिकारी

1	2	3	4	5	6	7
9.2	नगर पालिका / नगर पंचायत	सामुदायिक / सार्वजनिक शौचालय की नियमित सफाई (यदि शिकायत हो तो)	12 घंटे	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 2 अगस्त 2017

क्रमांक एफ–4–87 / 2011 / 18. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–4–87 / 2011 / 18, दिनांक 02–08–2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 2nd August 2017

NOTIFICATION

No. F-4-87/2011/18 . — in exercise of the powers conferred under Section 3, 4, 5 and 7 of Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee Act 2011 (No. 23 of 2011) the State Government hereby notify the services provided by the department, time limit for the services to be provided and designation of the prescribed officer, competent officer and appellate officer in the schedule given below:-

SCHEDULE

Sr.No.	Name of officer/ ULB /Agency	Services to be provided under C.G.Lok Sewa Guarantee	Time limit for the service to be provided	Authority (Designation) of the Lok Adhikari responsible	Competent Authority	Appellate Officer
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Municipal Corporation	Disposal of dead Animal	48 Hours	(1) Officer Authorised by Commissioner (if authorised) Otherwise (2) Commissioner Nagar Palik Nigam	Officer Authorised by Commissioner	1. In respect of (1) in column 5, Commissioner Nagar Palik Nigam 2. In respect of (2) in column 5, Collector or his nominee.
1.2	Nagar Palika / Nagar Panchayat	Disposal of dead Animal	48 Hours	Chief Municipal Officer	Chief Municipal Officer	Sub Divisional Officer (Revenue)

1	2	3	4	5	6	7
2.1	Municipal Corporation	Cleaning of overflowing Municipal garbage bins	12 Hours	(1) Officer Authorised by Commissioner (if authorised) Otherwise (2) Commissioner Nagar Palik Nigam	Officer Authorised by Commissioner	1. In respect of (1) in column 5, Commissioner Nagar Palik Nigam 2. In respect of (2) in column 5, Collector or his nominee.
2.2	Nagar Palika / Nagar Panchayat	Cleaning of overflowing Municipal garbage bins	12 Hours	Chief Municipal Officer	Chief Municipal Officer	Sub Divisional Officer (Revenue)
3.1	Municipal Corporation	Cleaning of Garbage Dumps	12 Hours	(1) Officer Authorised by Commissioner (if authorised) Otherwise (2) Commissioner Nagar Palik Nigam	Officer Authorised by Commissioner	1. In respect of (1) in column 5, Commissioner Nagar Palik Nigam 2. In respect of (2) in column 5, Collector or his nominee.
3.2	Nagar Palika / Nagar Panchayat	Cleaning of Garbage Dumps	12 Hours	Chief Municipal Officer	Chief Municipal Officer	Sub Divisional Officer (Revenue)
4.1	Municipal Corporation	Clearing of choking in Public Toilets	12 Hours	(1) Officer Authorised by Commissioner (if authorised) Otherwise (2) Commissioner Nagar Palik Nigam	Officer Authorised by Commissioner	1. In respect of (1) in column 5, Commissioner Nagar Palik Nigam 2. In respect of (2) in column 5, Collector or his nominee.
4.2	Nagar Palika / Nagar Panchayat	Clearing of choking in Public Toilets	12 Hours	Chief Municipal Officer	Chief Municipal Officer	Sub Divisional Officer (Revenue)
5.1	Municipal Corporation	Regular Garbage Vehicle Service (in case of complaint regarding this)	12 Hours	(1) Officer Authorised by Commissioner (if authorised) Otherwise (2) Commissioner Nagar Palik Nigam	Officer Authorised by Commissioner	1. In respect of (1) in column 5, Commissioner Nagar Palik Nigam 2. In respect of (2) in column 5, Collector or his nominee.
5.2	Nagar Palika / Nagar Panchayat	Regular Garbage Vehicle Service (in case of complaint regarding this)	12 Hours	Chief Municipal Officer	Chief Municipal Officer	Sub Divisional Officer (Revenue)

1	2	3	4	5	6	7
6.1	Municipal Corporation	Sweeping in public places	12 Hours	(1) Officer Authorised by Commissioner (if authorised) Otherwise (2) Commissioner Nagar Palik Nigam	Officer Authorised by Commissioner	1. In respect of (1) in column 5, Commissioner Nagar Palik Nigam 2. In respect of (2) in column 5, Collector or his nominee.
6.2	Nagar Palika / Nagar Panchayat	Sweeping in public places	12 Hours	Chief Municipal Officer	Chief Municipal Officer	Sub Divisional Officer (Revenue)
7.1	Municipal Corporation	Lighting in public toilet	12 Hours	(1) Officer Authorised by Commissioner (if authorised) Otherwise (2) Commissioner Nagar Palik Nigam	Officer Authorised by Commissioner	1. In respect of (1) in column 5, Commissioner Nagar Palik Nigam 2. In respect of (2) in column 5, Collector or his nominee.
7.2	Nagar Palika / Nagar Panchayat	Lighting in public toilet	12 Hours	Chief Municipal Officer	Chief Municipal Officer	Sub Divisional Officer (Revenue)
8.1	Municipal Corporation	Water supply in public toilet	12 Hours	(1) Officer Authorised by Commissioner (if authorised) Otherwise (2) Commissioner Nagar Palik Nigam	Officer Authorised by Commissioner	1. In respect of (1) in column 5, Commissioner Nagar Palik Nigam 2. In respect of (2) in column 5, Collector or his nominee.
8.2	Nagar Palika / Nagar Panchayat	Water supply in public toilet	12 Hours	Chief Municipal Officer	Chief Municipal Officer	Sub Divisional Officer (Revenue)
9.1	Municipal Corporation	Cleaning of Community / public toilets (in case of complaint regarding this)	12 Hours	(1) Officer Authorised by Commissioner (if authorised) Otherwise (2) Commissioner Nagar Palik Nigam	Officer Authorised by Commissioner	1. In respect of (1) in column 5, Commissioner Nagar Palik Nigam 2. In respect of (2) in column 5, Collector or his nominee.
9.2	Nagar Palika / Nagar Panchayat	Cleaning of Community / public toilets (in case of complaint regarding this)	12 Hours	Chief Municipal Officer	Chief Municipal Officer	Sub Divisional Officer (Revenue)

By order and in the name of Governor of Chhattisgarh,

R. EKKA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2017